न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः— 07 /2018

अपीलार्थीगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट
01. चिरंजीलाल भाटी पुत्र श्री जवरीलालजी, जाति घांची, निवारी गिल्कमैन कोलोनी, गली नं0 7 व 8 के बीच, मैन पाल रोड़ जोधपुर । 02. प्रेमलता पत्नि श्री चिरंजीलाल भाटी, जाति घांची, निवारी गिल्कमैन कोलोनी, गली नं0 7 व 8 के बीच, मैन पाल रोड़ जोधपुर ।		01. लादूराम पुत्र श्री दासूरामजी, जाति गा निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जि जोधपुर। 02. ग्राम पंचायत सालावास, जरिये सरपंच ।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 3558 जो ग्रम पंचायत सालावास, द्वारा दिनांक 10.09.2015 को स्वीकृत किया गया

उपस्थिति –

1. अपीलाण्ट की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या एक स्वयं उपस्थित व दो बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 7.2.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 3558 जो कि ग्राम पंचायत सालावास द्वारा स्वीकृत किया गया हैं के विरूद्ध पेश की हैं । संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी की राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 132/7 कुल रकबा 10 बीघा भूमि में से भूखण्ड संख्या 46 रकवा 400 वर्गगज जो कि अपीलाण्ट संख्या एक का खरीद सुदा हैं एवं इसी प्रकार से भूखण्ड संख्या 46 ए रकवा 600 वर्गगज एवं भूखण्ड संख्या 33 रकबा 400 वर्गगज जो कि अपीलाण्ट संख्या दो के खरीदसुदा भूखण्ड हैं जिस पर वक्त खरीद से अपीलाण्ट का ही कब्जा चला आ रहा हैं । अपीलाण्ट द्वारा उक्त तीनों भूखण्ड इस भूमि के खातेदार स्व0 श्री दासूराम पुत्र श्री भूरारामजी से खरीद किये गये हैं जो कि जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख के खरीद किये गये हैं जो कि उक्त तीनों बेचाननामे दिनांक 05.12.2011 को उप पंजीयक कार्यालय तृतीय जोधपुर के यहां पंजीवद्ध सुदा हैं । अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि खरीद करने के पश्चात पटवारी हल्का को अपीलाण्ट के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु उक्त बेचाननामें की फोटो प्रतियां उसी समय दे दी गयी एवं पटवारी हल्का द्वारा भी अपीलाण्ट को आश्वस्त किया कि आपके नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर जमाबन्दी में नाम दर्ज कर दिया जावेंगा । हाल ही में दिनांक 10.09.2018 को अपीलाण्ट द्वारा अपने खरीदसुदा भूखण्डों के आवासीय में पटटे् लेने हेतु आवेदन करना चाहा तो जेडीए में इन भूखण्डों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण चैनल दस्तावेज मय जमाबन्दी इत्यादी दस्तावेज मंगवाये गये । जब अपीलाण्ट द्वारा पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी लेने गये तो पटवारी हल्का ने वर्तमान जमाबन्दी देखकर बताया कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज ही नहीं हैं । जब पटवारी हल्का से अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं होने के बारे में पुछा तो बताया गया कि आज दिनांक तक किसी भी पूर्व पटवारी ने

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

अपीलाण्ट के नाम से किसी प्रकार का कोई नामान्तरकरण ही दर्ज नहीं किया हैं इसलिये अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं हो पाया हैं । अपीलाण्ट ने बताया कि वक्त बेचाननामा के ही अपीलाण्ट द्वारा उस समय तत्कालीन पटवारी को बेचाननामें की प्रति नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दे दी गयी थी एवं उसके पश्चात भी नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया अब अपीलाण्ट के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु भी वर्तमान पटवारी से निवेदन किया गया तो उन्होने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी देखकर बताया कि चूंकि अपीलाण्ट को बेचने वालें खातेदार दासूरामजी थे एवं उनका निधन हो गया हैं अब वर्तमान में उनके नाम के स्थान पर फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 3558 के जरिये उनके एक मात्र पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या एक का नाम दर्ज हो गया हैं इसलिये आपका नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता हैं । उसके बाद अपीलाण्ट द्वारा पटवारी जी से राजस्व रेकर्ड की नकले लेने हेतु निवेदन किया तो उन्होने उक्त विरासत का नामान्तरकरण एवं वर्तमान जमाबन्दी दिनांक 15.09.2018 को ही दे दी गयी जिस नामान्तरकरण संख्या 3558 के विरूद्ध यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश कि :–

01. यह हैं कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं ।

02. यह हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही अनाधिकार पूर्ण होने से निरस्त करने योग्य हैं । जब स्व0 दासूरामजी द्वारा ही अपीलाण्ट को भूमि बेचान कर दी गयी तो बेचान की गयी भूमि का भी विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया जो कि कानूनन हो ही नहीं सकता था ।

03. यह हैं कि पटवारी हल्का द्वारा भी नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व यह देखा जाना चाहिये था कि वास्तव मे स्व0 दासूरामजी द्वारा बेचान करने के पश्चात कितनी भूमि उनके खाते में बचती हैं । पहले बेचाननामें के आधार पर खरीददारों के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था तत्पश्चात जो भूमि शेष बचती थी उसका विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन ग्राम पंचायत ने भी बिना कोई जॉच किये बेचानसुदा भूमि भी रेस्पोण्डेन्ट के नाम से दर्ज कर दी जो कि उक्त विरासत का नामान्तरकरण इसी आधार पर ही निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

04. यह हैं कि नामान्तरकरण की कार्यवाही करने एवं इसे स्वीकार करने में हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पंचायत ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का तथा अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया हैं इस कारण भी नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

05. यह हैं कि अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि पर बहैसियम खातेदार के आज भी काबिज हैं रेस्पोण्डेन्ट का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं हैं । अपीलार्थी को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित करने हेतु जो कार्यवाही पटवारी एवं सरपंच ने रेस्पोण्डेन्ट की मिली भगत से की हैं वह कानूनन अपने आप में शुन्य हैं एवं अन्त में निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जावें एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3558 जो कि खसरा संख्या 132/7 के सम्बन्ध में स्वीकृत किया गया हैं वह खसरा संख्या 132/7 के सम्बन्ध में निरस्त किया जावें

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

तथा अपीलार्थी का नाम बेचाननामें के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें ।

यह अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किये गये । जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने स्वयं उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत् अपील को स्वीकार करने हेतु प्रस्तुत किया । रेस्पोडेन्ट का तामिलसुदा सम्मन पत्रावली में पेश हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए । पत्रावली में बहस सुनी गयी ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट के पक्ष में रजिस्ट्रर्ड बेचाननामें हैं लेकिन उन बेचाननामों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज होने से पूर्व ही विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में दर्ज कर दिया गया हैं जो कि गलत हुए हैं पहले रजिस्ट्रर्ड बेचाननामें के आधार पर अपीलाण्ट के नाम से नामान्तरकरण दर्ज होने चाहिये थे तत्पश्चात ही शेष बची भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती हैं ।

आदेश

चूंकि उक्त प्रकरण में रेस्पोन्डेड के पिता लादूराम के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण एवं जरिये पंजिबद्ध हकर्तकनामा दिनांक 09.03.2015 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 3558 ग्राम सालावास दर्ज किया गया। जो कि उक्त नामान्तकरण संख्या 3558 ग्राम पंचायत सालावास द्वारा दिनांक 10.09.2015 को स्वीकृत किया गया। इसमें ग्राम पंचायत सालावास ने किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम सालावास के खसरा संख्या 132/7 रकबा 10 बीघा में से भूखण्ड संख्या 46 रकबा 400 वर्गगज अपीलाण्ट संख्या 1 एवं भूखण्ड संख्या 46 ए रकबा 600 वर्गगज व भूखण्ड संख्या 33 रकबा 400 वर्गगज, अपीलाण्ट संख्या 2 के कयसुदा विकय विलेख पंजिबद्ध के नामान्तकरण दर्ज करवाने के उद्धेश्य से उक्त अपील पेश की गई जो कि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के प्रावधानो के अन्तर्गत पोषणीय नहीं हैं।

अतः उक्त नामान्तकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती हैं।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हों ।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Parihar
Date: 2020.03.02 12:15:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: